न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 27 / 2010 दायर दिनांकः 19.03.2010

उनवान

1. भवानीशंकर पुत्र श्री नंदलाल आयु 57 साल जाति ब्राहमण साकिन श्रीजी मंदिर बारां पुजारी व व्यवस्थापक मूर्ति श्रीकल्याणरायजी विराजमान बारां जिला बारां
2. मूर्ति श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां जर्ये पुजारी व्यवस्थापक वादमित्र भवानीशंकर पुत्र नंदलाल ब्राहमण नि0 बारां।

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू
2. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (ए) राज0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।

निर्णय

दिनांक 20.03.2020

पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (ए) राज0 काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया हैं कि बारां में मूर्ति श्री कल्याणराय जी का श्रीविगृह स0 1537 से बना हुआ हैं जिससे मूर्ति मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा (डोरा) होकर सेवा पूजा, अर्चना, तेल भोग, अंजन आरती के लिए वादी के पूर्वज श्री चंपालाल को पुजारी नियुक्त किया गया। स0 1537 से लेकर वर्तमान समय तक निरंतर निर्बाध मूर्ति श्री कल्याण राय जी वादी क्रम 2 के वादी क्रम 1 तथा चंपालाल जी की वंशानुगत शाखा अनुसार 6 शाखाओं के विभिन्न पुजारी नियमित सेवा पूजा करते आ रहे हैं। जिनकी सेवा पूजा के निमित्त व्यवस्था बनी हुई हैं। अपनी—अपनी वंश के हिस्से

अनुसार सभी पुजारी अपने–अपने वंश का दायित्व पूरा करते हैं तथा उसी अनुरूप मूर्ति की सम्पत्ति बहैसियत पुजारी करते रहे हैं। मुर्ति की संपत्ति के अंतर्गत केवल मन्दिर की व्यवस्था, देखभाल, शासन की निगरानी में होता हैं तथा सेवा पूजा, तेल भोग, अंजन आरती की सम्पूर्ण व्यवस्था पुजारी अपने स्तर पर करते हैं पूर्व में सरकार ने एक व्यवस्था करके 720 रूपये प्रतिवर्ष पुजारियों से जमा करवाने का आदेश दिया बाद में यह व्यवस्था समाप्त हो गई। वादी क्रम 1 वादी क्रम 2 का व्यवस्थापक पुजारी हैं। वादी क्रम 1 व 2 के अधिकार एक दूसरे के विपरित नहीं हैं। वादी क्रम 2 के हितों के रक्षार्थ यह वाद करना आवश्यक हैं। वादी क्रम 1 के हिस्से में माफी मन्दिर श्री कल्याणराय जी के नाम से जाने जानी वाली निम्नानुसार आराजियात वर्तमान में कब्जे काश्त पर हैं। जिसका विवरण इस प्रकार से हैं। वाके माल कोटड़ा तह0 अटरू में राजस्व रिकॉर्ड संख्या 2063 अनुसार निम्नानुसार आराजी स्थित हैं।

ख0न0	रकबा	किस्म	लगान
44 / 361	1.84	माल–1	20.24
77 / 362	1.95	माल–2	17.53
70	1.44	माल–1	15.84
71 / 398	0.09	.....	0.99
159	2.52	नहरी–2	2.52
160	0.47	.....	7.99
6 किता	8.31		105.45

वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बहैसियत खातेदार मन्दिर कल्याणराय जी महाराज विराजमान बारां खातेदार अंकित हैं जो सर्वथा गलत हैं। वर्तमान बन्दोबस्त से पूर्व बन्दोबस्त मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 अनुसार निम्नानुसार आराजी अंकित थी।

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
152	2 बी0 19 बि0		
19	5 बिस्वा		

20	10 बी0 14 बि0	
21	1 बी0 18 बि0	
26	10 बी0 8 बि0	
27	11 बी0 18 बि0	
153	15 बी0 14 बि0	
7 किता	53 बीघा 11 बि0	लगानी 63/—रूपये

उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार सरकार द्वारा दी गई माफी अथवा छोटे—छोटे अनुदान श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां पुजारी नंदलाल गोपाल पिसरान राधाकिशन कोम ब्राहमण साकिन बारां दर्ज रहा। जो जमाबन्दी स0 2037 से 2040 अनुसार पुष्ट हैं इससे पूर्व उक्त वर्णित आराजियात माल कोटड़ा मुताबिक जमाबन्दी स0 2002—2005—2006, 2009 तक खातेदार श्रीलाल वल्द बालाबक्श हिस्सा 1/4 नंदलाल गोपाल पिसरान राधाकिशन 3/4 एवं मुताबिक जमाबन्दी सं0 2009 से 12 तक आराजियात भी उक्त अनुसार उक्त आराजी ख0न0 14, ख0न0 44, ख0न0 49, खसरा नम्बर 50, ख0न0 267/100, खसरा नं0 268/100, खसरा नम्बर 269/100, खसरा नम्बर 101, खसरा नम्बर 102, खसरा न0 48, कुल किता 10 कुल रकबा 53 बीघा 11 बिस्वा लगान 26—रूपये 11 आना हैं। इसी प्रकार वाके माल महेशपुरा तह0 अटरू में मुताबिक जमाबन्दी स0 2065 अनुसार आराजी खसरा नम्बर 212 एवं ख0न0 230/426 कुल किता 2 कुल रकबा 3. 26 है0 आराजी लगानी 29.34—रूपया मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड स्थित हैं जिस पर बहैसियत खातेदार श्री कल्याणराय जी ठाकुर जी बारां प्रतिवादी क्रम 1 ने अंकित किया हुआ हैं। जो सर्वथा मनमाना एवं अविधिक हैं इससे पूर्व बंदोबस्त के प्रतिकूल प्रतिवादी क्रम 1 को गत प्रविष्टि को बदलने का कोई वैंधानिक अधिकार नहीं था। मुताबिक जमाबन्दी स0 2039 से 42 वाके माल महेशपुरा की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रिज्यूम 01/08/60 श्री कल्याणराय जी मन्दिर विराजमान मन्दिर बारां पुजारी नंदलाल गोपाल पिस0 राधाकिशन ब्राहमण साकिन बारां के रूप में दर्ज थी। जिसका खसरा नम्बर 157 रकबा 20 बी0 5 बि0 लगानी 25 रू0 5 आना हैं। जिसकी पुष्टि मुताबिक जमा0 स0 2015—18 में होती हैं मुताबिक जमाबन्दी सम्मत् 2006—09 वाके माल

महेशपुरा की आराजियात खसरा नम्बर 115 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा लगानी 10–रूपये 2 आना बखाता मन्दिर माफी श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां खातेदार नंदलाल गोपाल पिसरान राधाकिशन के रूप में दर्ज रही हैं। इसी प्रकार की प्रविष्टि स0 2010 से 13 में दौराई गई हैं। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि बाबत् स्पष्ट अंकन हैं कि माफीदार नंदलाल गोपाल हैं उक्त वर्णित जमाबंदियों में निर्विवाद रूप से वादी एवं उसके पूर्वज विवादित भूमियों के तनहा खातेदार बहैसियत पुजारी रहे हैं तथा उक्त खातेदार श्रीलाल राधाकिशन के जायज वारिसान एवं उत्तराधिकारी नंदलाल व गोपाल हुए तथा खातेदार नंदलाल गोपाल के वर्तमान जीवित वारिस उत्तराधिकारी वादी एवं उसके भाई धनराज व प्रेमशंकर हैं। नंदलाल गोपाल के वारिसान ने अपने हक हिस्से अनुसार कल्याणराय जी की सेवा पूजा के निमित स्थित उक्त आराजियात का अपनी–अपनी सुविधानुसार बटंवारा कर लिया। जिसके तहत उक्त वर्णित आराजियात वादी क्रम 1 को प्राप्त हुई जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया हैं जो वादी के तनहा हिस्से में हैं। यही भूमि इस वाद पत्र की विषय वस्तु हैं। विवादित भूमि से राजस्व रिकॉर्ड की उक्त गलत प्रविष्टि के आधार पर तनहा तौर पर मंदिर श्री कल्याणराय जी की खातेदारी दर्ज होना प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय अंकित करके वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं। इसी हेतु दिनांक 31/05/93 का एक अनुचित अवैधानिक एवं कानून बाह्य आदेश बताकर मनमाने तरीके से जमीन पर काबिज होना चाहते हैं। आज तक विवादित भूमि से वादी को बेदखल करने में प्रतिवादीगण सफल नहीं हुए हैं किन्तु अब वादी के अधिकारों पर ताकत के बल पर जबरन अतिक्रमण करने की प्रतिवादीगण ने धमकी दी हैं अस्तु न्यायालय श्रीमान की शरण आवश्यक हैं। जागीर पुनर्गहण एवं भूसुधार अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार जागीर लेण्ड़ पर वादी का अधिकार स्वत्व निर्विवाद हैं इस बाबत् राज0 सरकार राजस्व ग्रुप–6 द्वारा दिनांक 24/05/07 को एक परिपत्र जारी करके जागीर भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेख में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अंतर्निहित हो कि काश्तकार को खातेदारी में अनुवांशिक और पूर्ण अंतरण के अधिकार प्राप्त हैं दर्ज हैं। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और ऐसी भूमि के लिए खातेदार काश्तकार कहलायेंगा। सरकार के उक्त स्पष्टीकरण एवं विधिक प्रावधानों के बावजूद कानून बाह्य आदेश

दि0 31/05/93 की आड़ में प्रतिवादीगण जबरन वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में खिलाफ वादी की गई सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ अप्रभावी एवं शून्य हैं तथा उन्हें निरस्त करवाकर वादी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी स0 2005 एवं 2037–40 के अनुसार पुजारी नंदलाल गोपाल के स्थान पर विवादित आराजियात में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी एव नॉलिशी हैं। वादी के पिता श्री नंदलाल का दि0 03/10/02 को तथा उनके भाई गोपाल का दि0 22/05/96 को स्वर्गवास हो गया हैं मृतक नंदलाल गोपाल के धनराज, प्रेमशंकर एवं वादी जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं। प्रतिवादी क्रम 2 ने आदेश दिनांक 19/08/91 से नंदलाल गोपाल को मूर्ति श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां का औसरेदार वंश परम्परागत पुजारी स्वीकार किया हुआ हैं किन्तु उनकी मृत्यु के बाद आवेदन करने के बाद भी आज तक वादी एवं धनराज तथा भवानीशंकर को पुजारी के रूप में मान्यता नहीं दी गई इस बाबत् सक्षमदीवानी वाद जेरकार हैं। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजि0 किशनगंज ने पत्रावली संख्या 76/96 निर्णय दि0 22/12/99 से उपशासन सचिव का विवादित आदेश ता0 31/05/93 अप्रभावी एवं शून्य घोषित किया हुआ हैं। जिसके आधार पर प्रतिवादी वादी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही करने को सक्षम नहीं हैं। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बारां ने भी पुजारी मोहनलाल को निरंतर मुर्ति श्री कल्याणराय जी की सेवा पूजा करने बाबत् अधिकृत किया हुआ हैं तथा स्पष्ट निर्देश दिये हुए हैं कि कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अपी0/वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलअंदाजी न करें। वादी को श्री कल्याणराय जी की सेवा पूजा तेल भोग हेतु सुखाधिकार प्राप्त हैं। विधि की स्थापित प्रक्रिया अनुसार विधि सम्मत् कार्यवाही किये बिना ही प्रतिवादीगण राठौड़ी के तहत ताकत के बल पर वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं हैं। मूर्ति श्री कल्याणराय जी श्री विग्रह की स्थापना विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वादी के पूर्वजों द्वारा निजी पारिवारिक सेवा पूजा, अर्चना एवं नित्य धार्मिक कार्य हेतु निजी स्वामित्व एवं अधिपत्य के परिसर में करके श्री कल्याणराय जी की प्रतिमा स्थापित की हैं इस प्रकार स्थापित प्रतिमा के स्थापना काल से ही सेवा पूजा के निमित विवादित आराजियात सहित सम्पूर्ण भूमि की प्रबन्ध व्यवस्था करते हुए प्राप्त आय से स्वंतत्र अपना अपने परिवार एवं मूर्ति की

नित्य सेवा पूजा के निमित स्थापित परम्परा अनुसार धार्मिक अनुष्ठान जप तेल भोग आदि की व्यवस्था वादी कर रहा हैं। प्रतिवादीगण द्वारा जबरन बेदखल करने अथवा अन्यथा प्रकार से बिना विहित प्रक्रिया के बेकब्जा करने की स्थिति में वादी क्रम 2 की सेवा पूजा में व्यवधान एवं वादी के परम्परागत अधिकार में बाधा होंगी। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। वंश परम्परागत वादी सहित अन्य पुजारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मंदिर के गर्भ गृह में प्रवेश का अधिकार नहीं हैं यदि प्रतिवादीगण अपने अनुचित उद्देश्यों में सफल हो गये तो वादी के अधिकारों का स्पष्टतया हनन हो जावेंगा तथा सर्वथा विधि विपरित कृत्य होगा। पुजारियों के मध्य आपस में कोई विवाद नहीं हैं। विवादित आराजियात का कर्ता लगान भूराजस्व शासन द्वारा धार्मिक दृष्टि से राज0 भूसुधार अधिनियम के लागू होने के पूर्व तक माफ चला आ रहा था तथा वादी एवं उसके पूर्वज माफीदार कहलाते थे इसी कारण राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि माफी कल्याणराय जी के नाम से अंकित रही हैं उक्त भूमि पर प्रतिमा का सन्दर्भ देने की दृष्टि से माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी के रूप में अंकन दर्ज हुआ तथा बहैसियत पुजारी काबिज खातेदार वादी के पूर्वजों का नाम दर्ज हुआ हैं। वादी एवं अन्य वंश परम्परागत औसरेदार पुजारी ही वादी के सेवायत हैं जो राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित हैं। लगान सरकार द्वारा वसूली योग्य होने पर वादी द्वारा लगान अदा किया गया हैं बाद में राज्य सरकार ने सम्पूर्ण बारानी भूमि का लगान माफ कर दिया इस कारण वादी से लगान नहीं लिया गया। विवादित भूमि बारानी हैं इससे पूर्व बारानी भूमि का लगान वादी अदा करता आ रहा हैं। वादी ने अपने मृतक पिता एवं पूर्वजों के स्थान पर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु सक्षम आवेदन कर दिया हैं जिसकी जांच भी प्रतिवादी क्रम 2 ने करवा ली हैं किन्तु अकारण परेशान करने के आशय से प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। उनकी दुर्भावना सुस्पष्ट प्रमाणित होती हैं। प्रतिवादी क्रम 2 मनमाने तरीके से विवादित आराजियात पर अपना हक अधिकार जताते हुए विवादित आराजियात को अपने अधिकारों का दुर्पयोंग कर अपने अधिकारों का दुर्पयोंग कर जबरन आराजियात विवादग्रस्त पर अतिक्रमण कर प्रतिवादी क्रम 1 से विवादित आराजियात को मुनाफा काश्त से नीलाम करने पर आमादा हैं तथा प्रतिवादी क्रम 1 की इसमें मिली भगत हैं। वाद कारण प्रथम बार प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा वादी एवं उसके भाई धनराज व प्रेमशंकर का विवादित आराजियात से बेदखल करने की

धमकी देने एवं दिनांक 22/02/10 को वादी द्वारा राज्य सरकार जर्ये जिला कलेक्टर को जर्ये अधिवक्ता नोटिस प्रेषित करने उन्हें नोटिस प्राप्त हो जाने पर अन्तिम बार उत्पन्न हुआ अस्तु वाद अन्दरमियाद पेश हैं। न्यायशुल्क के प्रयोजन से विवादित आराजियात के निश्चित लगान 108/—रूपये का 20 गुना 216/—रू0 वास्ते घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु 2160/—रू0 कायम किया जाकर निश्चित न्यायशुल्क अदा करते हुए वाद पेश हैं। वादी ने वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित कर दिया हैं जो प्राप्त भी हो गया हैं जिसकी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई हैं यदि विहित अवधि का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण वादी को विवादित भूमि से बेदखल कर देंगे अस्तु मियाद अवसान से पूर्व दफा 80 (2) जा0दी0 के प्रावधानों के तहत यह वाद प्रस्तुत हैं। आवेदन पृथक से संलग्न हैं। माननीय न्यायालय को वाद के परीक्षण का आर्थिक व क्षैत्रीक अधिकार प्राप्त हैं।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण वाद निम्न प्रकार सादर डिक्री जयपत्र जारी फरमाया जावें ।

(अ) विवादित आराजियात वाके माल कोटड़ा एवं महेशपुरा तह0 अटरू के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बहैसियत खातेदार माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी पुजारी भवानीशंकर पुत्र नंदलाल का नाम दर्ज किया जावें इस निमित राजस्व रिकार्ड की सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ वादी के विरूद्ध अप्रभावी एवं शून्य घोषित फरमाई जावें।

(ब) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादी को विहीत प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अथवा अविधिक तरीके से ताकत के बल पर वादी को बेदखल नहीं करें। बहैसियत पुजारी वंशानुगत औसरेदार पुजारी के अधिकारों में निर्धारण बाद सुनवाई किये जाने बाबत् आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। अन्य मदाखालात बेजा ना तो स्वंय करें ना अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) खर्चा मुकदमा एवं अन्य सहायता जो न्यायोचित हो वादी को दिलवाई जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया हैंः— चरण सं0 1 अस्वीकार हैं पैरा में अंकित विवरण दीवानी प्रकृति से सम्बन्धी अधिकार हैं। चरण संख्या 2

स्वीकार हैं यह मंदिर राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज विराजमान बारां का हैं जो देवस्थान विभाग कोटा के अधीन हैं भूमि माल कोटड़ा की हैं रिकार्ड की सूचना किता 6 रकबा 8.31 है0 मंदिर श्री कल्याण राय जी महाराज बारां के नाम दर्ज हैं चरण संख्या 3 रिकार्ड के अनुसार स्वीकार हैं। रिकार्ड में ग्राम कोटड़ा की 6 किता भूमि रकबा 8.31 है0 लगानी 105.45 मंदिर श्री कल्याणराय जी बारां के दर्ज हैं पुजारी का नाम भी दर्ज हैं। चरण संख्या 4 पुराने रिकार्ड के अनुसार स्वीकार हैं। चरण संख्या 5 रिकार्ड अनुसार स्वीकार हैं। शेष अस्वीकार हैं। चरण संख्या 6 अस्वीकार हैं ग्राम महेशपुरा की भूमि कब्जे सरकार में हैं जिसकी हर वर्ष तहसील से नीलामी बोली पुकरवायी जाती हैं। चरण संख्या 7 अस्वीकार हैं यह भूमि ग्राम महेशपुरा की मूर्ति मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज विराजमान बारां के खाते दर्ज हैं। चरण संख्या 8 अस्वीकार हैं। पुराने रिकार्ड की प्रविष्टिया राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा एक परिपत्र पं0 2 (4) राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13/12/91 जारी किया गया। इस परिपत्र की पालना में मंदिर की भूमि पर अंकित पुजारियों के नाम हटा दिये गये हैं। पुजारियों को मंदिर की भूमि पर खातेदारी दर्ज किये जाने का कोई अधिकार नहीं हैं। पुजारियों के नाम केवल तहसील कार्यालय में पृथक से सन्धारित रजिस्टर में ही नाम दर्ज कराने का ही अधिकार हैं। चरण संख्या 9 अस्वीकार हैं चरण की रचना निजी रूप से की गई हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। चरण संख्या 10 अस्वीकार हैं पुजारी या शिवायत का सेवा पूजा का यदि कोई अधिकार हैं तो वह एक दीवानी अधिकार हैं जिसका सम्बन्ध दीवानी न्यायालय से हैं राजस्व कानून अथवा काश्तकारों के अधिकार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के साथ पुजारी या शिवायत का नाम लिखें जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं अत : देवमूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के सम्बन्ध में अनावश्यक मुकदमें बाजी रोकने के लिए यह निर्णय किया गया हैं कि 1. भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनायी जावें उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या शिवायत का नाम नहीं लिखा जावें। 2.प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के सम्बन्ध में तहसील स्तर पर सन्धारित किया जावें। 3 जो जमाबन्दी बन चुकी हैं तथा वर्तमान में प्रभावशील हैं उनमें देवमूर्ति के साथ जहाँ भी पुजारी का नाम आया हैं वहाँ पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावें तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में

लिखा जावें इसी व्यवस्था में नाम हटाया गया हैं। चरण संख्या 11 अस्वीकार हैं पुजारी का नाम विधिक व्यवस्था के अनुरूप ही हटाया गया हैं। चरण संख्या 12 अस्वीकार हैं श्री कल्याणराय जी महाराज बारां की मूर्ति शाश्वत् अवयस्क हैं तथा मूर्ति मंदिर की भूमि पर किसी पुजारी का नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। चरण संख्या 13 अस्वीकार हैं मंदिर की भूमि की काश्त व्यवस्था हर साल खुली नीलामी बोली लगाकर प्राप्त राशि का संग्रह देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता हैं। चरण संख्या 14 अस्वीकार हैं। चरण संख्या 15 अस्वीकार हैं। प्रश्नगत भूमि पर राज0 सरकार का ही कब्जा हैं जब कब्जा राज0 सरकार का ही हैं तभी तो हर वर्ष मुनाफा काश्त की खुली नीलामी बोली लगाई जाती हैं। चरण संख्या 16 कानूनी हैं यह एक दीवानी अधिकार हैं। चरण संख्या 17 अस्वीकार हैं। चरण में अंकित भाषा तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। चरण संख्या 18 अस्वीकार हैं तहसील द्वारा राज0 सरकार देवस्थान विभाग तथा जिला कलेक्टर महोदय बारां के आदेशों के अधीन हर वर्ष मुनाफा काश्त की कार्यवाही की जाती हैं। चरण संख्या 19 अस्वीकार हैं चरण में जो विषय वस्तु बताई गई हैं वह दीवानी अधिकार हैं। चरण संख्या 20 अस्वीकार हैं। चरण संख्या 21 अस्वीकार हैं। मौके पर मुनाफा काश्त की कार्यवाही प्रतिवर्ष निर्बाध रूप से सम्पन्न की जा रही हैं। चरण संख्या 22 अस्वीकार हैं। भूमि की नीलामी विधि अनुरूप की जाती हैं। चरण का सम्बन्ध माननीय न्यायालय से हैं। चरण संख्या 24 अस्वीकार हैं। नोटिस 80 सी0पी0सी0 की अवधि का इन्तजार करना आवश्यक हैं।

अतः वाद पत्र का जवाब पेश कर निवेदन हैं कि वाद दफा 88, 89, 188, 92 (ए) राज0टी0ए0 के तहत मंदिर की भूमि पर खातेदारी प्रदान न की जावें दावा खारिज किया जावें।

प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर कथन किया गया कि किया हैं कि वाद पत्र की मद नं0 1 जिस तरह से लिखी गई हैं स्वीकार नहीं हैं क्योंकि वादीगण ने जबरन मंदिर श्री कल्याण राय जी के स्वामित्व की आराजी पर कब्जा कर रखा हैं और आराजी ही आय का स्वंय वादीगण ही उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। वाद पत्र की मद नं0 2 में माल कोटड़ा तह0 अटरू में कुल किता 6 का कुल रकबा 8.31 है0 आराजी मंदिर कल्याणराय जी विराजमान बारां के खाते की होना स्वीकार हैं। लेकिन खातेदार अंकित हैं यह तथ्य अस्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 3 में भी आराजी कुल किता 7 का कुल रकबा 53 बीघा

11 बिस्वा होना स्वीकार हैं लेकिन उक्त मद में वर्णित शेष विवरण गलत दर्ज होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं क्योंकि आराजी के खातेदार मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज विराजमान बारां हैं। वाद पत्र की मद नं0 4 पूरी ही गलत तथ्यों पर दर्ज होने की वजह से स्वीकार नही हैं। वाद पत्र की मद नं0 6 भी अस्वीकार हैं क्योंकि उक्त मद में विर्णत आराजी मंदिर श्री कल्याण राय जी विराजमान बारां के खातेदारी की हैं। वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 8 जिस तरह से दर्ज की गई हैं स्वीकार नहीं हैं क्योंकि पुजारी पूजा करने के लिए होते हैं न की खातेदार बनने के लिये। वाद पत्र की मद नं0 9 भी अस्वीकार हैं मंदिर कल्याणराय जी महाराज की आराजी का विभाजन करने का पुजारियों को कोई अधिकार नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 10 जिस तरह से लिखी गई हैं वह स्वीकार नहीं हैं क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में आराजी मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज के खातेदारी की हैं तथा आदेश दिनांक 31/05/93 पूर्णरूप से विधि सम्मत हैं। प्रतिवादी क्रम 2 देवस्थान द्वारा ही उक्त आराजियात प्रंबधित एवं नियत्रिंत हैं इस वजह से प्रतिवाद पत्र के माध्यम से प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी पर प्रतिवादी क्रम 2 कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वाद पत्र की मद नं0 11 पूरी ही मनगढ़न्त तथ्यों पर दर्ज होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 12 अस्वीकार हैं क्योंकि आराजी श्री कल्याणरायजी महाराज विराजमान बारां के खाते की हैं जिस पर वादीगण अपना नाम दर्ज करवाने के कोई कानूनी हकदार नहीं हें। वाद पत्र की मद नं0 13 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 14 बनावटी एवं काल्पनिक तथ्यों पर दर्ज हाने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा कोई पुजारी स्वीकार नहीं किया गया। वाद पत्र की मद नं0 15 अस्वीकार हैं। प्रतिवादी क्रम 2 को ही विवादग्रस्त आराजियात के स्वामित्व सम्बन्धित अधिकार प्राप्त हैं जबकि वादी को तो वाद लाने का अधिकार भी नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 16 अस्वीकार हैं क्योंकि वादीगण विवादग्रस्त आराजी की उपज से जो आय होती हैं उसको स्वंय के उपभोग में ही खर्च कर देते हैं वादीगण जबरन पुजारी बनकर मंदिर श्री कल्याण राय जी महाराज विराजमान बारां के स्वामित्व की आराजी को हड़पना चाहते हैं। वाद पत्र की मद नं0 17 अस्वीकार हैं क्योंकि प्रतिवादी क्रम 2 विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही आराजी पर से वादीगण को बेदखल करके कब्जा प्राप्त कर रहे हैं जिसका प्रतिवादीगण क्रम 2 को पूर्ण

अधिकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 18 जिस प्रकार से लिखी गई हैं स्वीकार नहीं क्योंकि उक्त मद में वर्णित समस्त तथ्य बनावटी हैं। वाद पत्र की मद नं0 19 भी अस्वीकार हैं वादीगण द्वारा मंदिर की जबरन आराजी पर अवैंधानिक तरीके से कब्जा बना रखा हैं। वाद पत्र की मद नं0 20 अस्वीकार हैं वादीगण इस वाद पत्र के माध्यम से कल्याणराय जी महाराज की भूमि को हड़पना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 21 अस्वीकार हैं प्रतिवादी क्रम 2 को वादीगण को उक्त वाद में वर्णित आराजी पर से बेदखल करके कब्जा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 23 कानूनी हैं। वाद पत्र की मद नं0 24 जिस तरह से लिखी गई हैं स्वीकार नहीं हैं। नोटिस की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही वाद पेश किया गया हैं। जो काबिल निरस्तनीय हैं। वाद पत्र की मद नं0 25 कानूनी हैं। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं हैं। वादी का वाद खारिज होने योग्य हैं।

विशेष विवरण मय प्रतिवाद पत्र

वादीगण भवानीशंकर के पिता नंदलाल एवं गोपाल पुत्र राधाकिशन वगै0 द्वारा एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजि0 प्रथम वर्ग अटरू के यहाँ बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसका वाद संख्या 05/94 तथा 06/94 हैं दोनों ही दावों को कंसोलिडेटेड करते हुए वाद की सुनवाई करते हुए वाद में दिनांक 02/02/10 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज फरमा दिया गया था। जिसका निर्णय दिनांक 02/02/2010 की शुद्ध प्रतिलिपी जवाब के साथ में पेश हैं जो काबिल गौर हैं। दिनांक 31/05/93 का प्रतिवादीगण द्वारा जारी आदेश एक विधिक आदेश था जिसको प्रभाव शून्य घोषित करवाने बाबत् दावा किया था। जो दिनांक 02/02/10 को खारिज हो चुका हैं। वादीगण द्वारा एक वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया था जिसका मि0न0 09/2000 है जिसमें दिनांक 22/01/03 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया हैं। अब पुन : वादीगण द्वारा उसी आराजी को लेकर उन्हीं पक्षकारों के मध्य यह दावा पेश किया हैं जो धारा 11 धारा 11 रेसजुडिकेटा से स्टोप्ड़ हैं।मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की सम्पूर्ण आराजी जो अटरू तहसील क्षैत्र में ग्राम सहरोद, कोटड़ा,

चरड़ाना, अन्ताना, मूण्ड़ला, खेड़लीगंज में स्थित हैं उक्त सम्पूण आराजियात प्रतिवादी क्रम 2 देवस्थान के ऊपर ही हैं।

वादीगण इस तरह के वाद पेश करके जबरन आराजी पर कब्जा बनाये रखना चाहते हैं जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी क्रम 2 माननीय न्यायालय मे जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर निवेदन करता हैं कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी क्रम 2 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजी पर से वादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्रतिवादीगण क्रम 2 को दिलवाया जावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा से वादीगण को पाबन्द किया जावें कि वह मंदिर श्री कल्याणरायजी महाराज विराजमान बारां के नियंत्रण व्यवस्था करने देंवे इस हेतु यह प्रतिवाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। प्रतिवाद पत्र उचित न्यायशुल्क पर पेश हैं। जिसको माननीय न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार प्राप्त हैं।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 2 जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता हैं कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजी पर से वादीगण को बेदखल करके कब्जा प्रतिवादी क्रम 2 को दिलवाया जावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वह प्रतिवादी क्रम 2 को आराजी का प्रबन्ध नियंत्रण व्यवस्था करने देंवे।

वादी द्वारा जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया गया कि मद नम्बर 1 प्रतिदावा में विवादित आराजियात मूर्ति श्री कलयाणराय जी की खातेदारी में दर्ज हाने बाबत् कोई आपत्ति नहीं हैं। शेष मद नं0 1 को प्रतिवादी द्वारा गलत रूप से अस्वीकार किया हैं। वादी मद हाजा में वर्णित अपने अभिवचनों की सत्यता पर बलत देता हैं। वादी ने अपने वाद पत्र में सही तथ्य अंकित किए हैं। प्रतिवादी क्रम 2 का यह कथन सर्वथा गलत हैं कि मंदिर की पूरी व्यवस्था प्रतिवादी क्रम 2 करता हो अपितु सेवा पूजा का अनन्य अधिकार वादी एवं उसके बंधू बांधुओं को हैं जो अपने अपने ओसरे अनुसार सेवा पूजा करता चला आ रहा हैं। वादी को सेवा पूजा का अधिकार विरासत में प्राप्त हैं सक्षम न्यायालय से वादी मूर्ति कल्याणरायजी का घोषित पुजारी हैं। विवादित आराजियात पर वादी का कब्जा अवैंधानिक न होकर वैधानिक हैं। सेवा पूजा तेल भोग, दीपक, आरती, अंजन मंदिर के उत्सव इत्यादि की सपूंर्ण व्यवस्था सहित वादी का जीवन विवादित

आराजियात पर ही निर्भर हैं। मद नम्बर 2 प्रतिदावा में विवादित आराजियात बाबत् दिए गए तथ्य स्वीकार हैं। शेष मद को प्रतिवादी ने गलत रूप से अस्वीकार किया हैं। मद नम्बर 3 प्रतिदावा जिस प्रकार लिखी हैं स्वीकार नहीं हैं। मद नम्बर 4 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। वादी वाद में दिए गए तथ्यों पर बल देता हैं तथा उन्हें सत्य होना घोषित करता हैं। मद नम्बर 5 प्रतिदावा जिस प्रकार लिखी हैं स्वीकार नहीं हैं। विवादित आराजियात निर्विवाद रूप से मूर्ति कल्याणराय जी की खातेदारी की हैं। प्रतिवादी क्रम 2 का यह कथन अस्वीकार हैं कि वादी विवादित आराजियात को अपनी खातेदारी की मान रहा हो बल्कि मूर्ति कल्याणराय जी के साथ–साथ विवादित आराजियात पर बहैसियत पुजारी व्यवस्थापक अपने अधिकारों की घोषणा करा पाने का अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। मद नम्बर 6 प्रतिदावा बाबत् कोई आपत्ति नहीं हैं मद हाजा को प्रतिवादी ने गलत रूप से अस्वीकार किया हैं। मद नम्बर 7 वाद पत्र को प्रतिवादी ने गलत रूप से अस्वीकार किया हैं। विवादित आराजियात मूर्ति कल्याणराय जी विराजमान बारां पुजारी व्यवस्थापक प्रेमशंकर भवानीशंकर धनराज की खातेदारी की हैं। मद नम्बर 8 प्रति दावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं बहैसियत पुजारी व्यवस्थापक विवादित आराजियात पर वादी अपनी खातेदारी घोषित करा पाने का अधिकारी हैं। विवादित भूमि निर्विवाद रूप से कल्याणराय जी की हैं किन्तु प्रतिवादी को विवादित आराजियात बाबत् किसी भी प्रकार का हक अधिकार दखलअन्दाजी का प्राप्त करने का नहीं हें। मद नम्बर 9 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं मुताबिक बाहमी विभाजन फेमिली सेटलमेन्ट वादी प्रेमशंकर, भवानीशंकर व धनराज ने अपनी–अपनी सेवा पूजा के हक अधिकार अनुसार विवादित आराजियात बाबत् व्यवस्था कर ली हैं जिसके अनुसार विवादित आराजियात वादी के हिस्से में हैं। मद नम्बर 10 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। राजस्व रिकार्ड में पुजारियों के हक अधिकार कभी समापत नहीं किये अपितु हाल की में राजस्व रिकार्ड में पुजारियों को मान्यता देकर उनके कब्जे काश्त एवं अधिकार की भूमि पुनः उनके नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। प्रतिवादी ने विवादित आराजियात से वादी को बेदखल करने बाबत् कोई वेद कार्यवाही नहीं की हैं जबरन ताकत के बल पर वादी को उसके अधिकारों से वंचित करने को तत्पर हैं। दिनांक 31/05/93 के कथित आदेश की आज तक पालना नहीं की हैं दिनांक 31/05/93 के आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा अप्रभावी एवं शून्य

घोषित किया जा चुका हैं। 31/05/93 के आदेश के भाग– 2 की पालना किये बिना भाग–1 की पालना करने पर प्रतिवादी आमादा हैं प्रतिवादी0 वादी के मुकाबले अधिक सम्पन्न हैं अपने अधिकारों का प्रतिवादी दुरूपयोग करने पर आमादा हैं। कानून की पालना करने वाले कानून हाथ में लेकर जबरन वादी को उसे प्राप्त अधिकारों से वंचित करने पर आमादा हैं। मद नम्बर 11 प्रति दावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं वादी के अभिवचनों को प्रतिवादी ने गलत तौर पर अस्वीकार किया हैं। कानून के वैध प्रावधानों के अन्तर्गत वादी ने अपने अधिकारों की घोषणा की सीमा तक अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद पेश किया हैं। विवादित आराजियात बाबत् मूर्ति की और से अपना कब्जा बनाये रखने को वादी सक्षम हैं। तद्नुसार सहायता प्राप्त करने का अधिकारी एवं नॉलिशी हैं वादी का वाद विधितः डिक्री किये जाने योग्य हैं। मद नम्बर 12 वाद पत्र को प्रतिवादी ने सर्वथा गलत तौर पर अस्वीकार किया हैं वादी मद नं0 12 में वर्णित अभिवचनों के सत्यता पर बल देता हैं। मद नम्बर 13 वाद पत्र के सभी कथन सत्य हैं जो प्रतिवादी की पूर्ण जानकारी में हैं। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनि0खंड) किशनगंज में प्रतिवादी उत्तरदाता को पक्षकार बनाते हुए दावा संख्या 76/96 से 31/05/93 का आदेश अप्रभावी एवं शून्य घोषित किया हुआ हैं जिसकी अपील भी अपीलीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार की गई हैं। इसी प्रकार न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0खण्ड़) बारां ने दावा संख्या 53/04 प्रेमशंकर बनाम राज0 सरकार सहायक आयुक्त देवस्थान तहसीलदार बारां, शासन सचिव देवस्थान विभाग सचिवालय जयपुर के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13/04/2010 से प्रेमशंकर, भवानीशंकर, धनराज को मूर्ति कल्याणराय जी विराजमान बारां का पुजारी घोषित किया हुआ हैं उक्त वाद में न्यायालय ने यह भी आदेश दिया हैं कि 31/05/93 की सम्पूर्ण पालना होने तक वादी को आराजी से बेदखल नहीं करें। मद नम्बर 14 वाद पत्र को प्रतिवादी ने सर्वथा गलत तौर पर अस्वीकार किया हैं मदहाजा के सभी तथ्यों की सत्यता पर वादी बल देता हैं मद नम्बर 15 प्रति दावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। वादी निर्विवाद रूप से मंदिर कल्याणराय जी का पुजारी एवं सरंक्षक हैं जो परम्परागत तरीके से अपने औसरे अनुसार कई पीढियों से सेवा पूजा कर रहा हैं वादी की मूर्ति में घोर आस्था हैं वादी वाद में विवादित आराजियात पर मूर्ति कल्याणरायजी विराजमान बारां के साथ–साथ बहैसियत पुजारी सरंक्षक अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हैं इसी उद्देश्य के लिए

इसी सीमा तक दावा पेश किया हैं। प्रतिवादी का यह कथन भी असत्य हैं कि वादी को मूर्ति कल्याणराय जी से कोई लेना देना नहीं हैं। अपितु वादी अपने औसरे अनुसार दिन रात भगवान की सेवा पूजा तेल भोग चाकरी अंजन आरती नैवैद्य अर्पण करता हैं। मद नम्बर 16 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं नियमानुसार वैध प्रक्रिया अपनाकर प्रतिवादी उत्तरदाता ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की हैं। शासकीय ताकत के बल पर वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा हैं मद नम्बर 17 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। मद नम्बर 18 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। स्वंय प्रतिवादी उत्तरदाता वादी के हक हिस्से की सेवा पूजा तेल भोग की आराजियात को हड़पने पर आमादा हैं। वादी को विवादित आराजियात से बेदखल कर दिया गया तो भगवान की सेवा पूजा तेल भोग अंजन आरती आदि बन्द हो जावेंगा इसकी पूर्ति अन्यथा रूप से सम्भव नहीं हैं। मद नम्बर 19 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। पूर्व जमाबन्दी बन्दोबस्त से पूर्व वादी के पिता स्व0 नंदलाल जी बहैसियत पुजारी मूर्ति कल्याणराय जी के साथ–साथ राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज रहे हैं। मद नम्बर 20 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। वादी कानूनन मूर्ति कल्याणरायजी के साथ–साथ बहैसियत पुजारी सरंक्षक विवादित आराजियात पर अपना नाम दर्ज करा पाने का अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। मद नम्बर 21 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। ताकत के बल पर प्रतिवादी उत्तरदाता जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। वादी को बेदखल करने के निमित्त अद्यतन कोई वैध कार्यवाही वादी के विरूद्ध नहीं की गई हैं। मद नम्बर 22 प्रतिदावा सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। मद नम्बर 23 प्रतिदावा कानूनी हैं। मद नम्बर 24 प्रतिदावा कानूनी हैं। मद नम्बर 25 प्रतिदावा कानूनी हैं। मद नम्बर 26 प्रतिदावा सर्वथागलत हैं स्वीकार नहीं हैं। चाहा गया अनुतोष वादी प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी हैं। वादी का वाद सर्वथा डिक्री किये जाने योग्य हैं।

जवाब विशेष आपत्तियां एवं काउंटर क्लेम

मद नम्बर 1 काउंटर क्लेम जिस प्रकार लिखी गई हैं स्वीकार नहीं हैं वाद क्रमांक 06/94 से सम्बन्धित प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में जेरकार हैं। मद नम्बर 2 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। 31/05/93 का आदेश सर्वथा विधि विरूद्ध हें न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजि0 किशनगंज ने दावा संख्या

76/96 से आदेश 31/05/93 अप्रभावी एवं शून्य घोषित कर दिया हैं वादी को विवादित आराजियात बाबत् कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में आदेश दिनांक 2/2/2010 के विरूद्ध प्रकरण विचाराधीन हैं। मद नम्बर 3 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। इस वाद के तथ्य एवं वाद संख्या 9/2/2000 के तथ्य पृथक–पृथक हैं सक्षम न्यायालय से वादी को पत्रावली संख्या दीवानी वाद संख्या 53/04 प्रेमशंकर, भवानीशंकर, धनराज को मूर्ति कल्याणरायजी विराजमान बारां का निर्णय दिनांक 13/4/2010 से परम्परागत औसरेदार पुजारी घोषित कर दिया हैं। वाद संख्या 09/2000 के तथ्य रिलिफ इस वाद से भिन्न हैं अस्तु प्रतिवादी का यह कहना सर्वथा गलत हैं कि वादी का वाद धारा 11 जा0दी0 से प्रभावित हो। मद नम्बर 4 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। मद हाजा में वर्णित सम्पूर्ण आराजियात निर्विवाद रूप से मूर्ति कल्याणराय जी के स्वामित्व एवं वादी के कब्जेकाश्त में हैं। मुर्ति कलयाणरायजी विराजमान बारां सर्वथा नाबालिग हैं विवादित आराजियात सेवा पूजा से सम्बन्धित हैं जिसके बाबत् वादी को सेवा पूजा तेल भोग के बदले अपना कब्जा बनाये रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। वाके माल सहरोद कोटड़ा, चरड़ाना, अन्ताना, मूण्ड़ला, खेड़लीगंज में स्थित आराजियात प्रेमशंकर, भवानीशंकर, धनराज के कब्जेकाश्त में हैं। प्रतिवादी द्वारा ना तो प्रबंधित हैं ना ही नियंत्रित हैं। मद नम्बर 5 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। वादी का कब्जा अवैध हैं जिसे अपने कब्जे में बनाये रखने का पूर्ण अधिकार वादी को प्राप्त हैं। मद नम्बर 6 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य हैं वादी चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। प्रतिवादी उत्तरदाताओं को विवादित आराजीयात से वादी को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं हैं। विवादित आराजियात मूर्ति कल्याणराय जी की सेवा पूजा तेल भोग अंजन आरती चाकरी की हैं जिसका प्रबंधन से कोई सम्बंध नहीं हैं। विवादित आराजियात को प्रतिवादी को अपने कब्जे में लेने का कोई अधिकार नहीं हैं। मद नम्बर 7 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। प्रतिवादी को प्रतिदावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं हें वादी का वाद सही एवं ठोस तथ्यों पर आधारित हैं। मद नम्बर 8 काउंटर क्लेम सर्वथा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। प्रतिवाद पत्र के साथ प्रतिवादी ने कोई न्यायशुल्क अदा नहीं किया हैं। मद नम्बर 9 काउंटर क्लेम में वर्णित प्रार्थना

स्वीकार नहीं हैं। प्रतिवादी को विवादित आराजियात से वादी को बेदखल कराने का कोई अधिकार नहीं हैं न ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रतिवादी हकदार हैं। मूर्ति की सेवा पूजा तेल भोग अंजन आरती वादी के साथ–साथ उसके सहदायी बंघू बांधव करते हैं जो अपने–अपने औसरे अनुसार तेल भोग की व्यवस्था करते हैं अतः इस सम्बन्ध में प्रतिवादी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं हैं। काउंटर क्लेम पर उचित न्याय शुल्क चस्पा नहीं हैं। काउंटर क्लेम से पूर्व विहीत प्रक्रिया का प्रतिवादी द्वारा अनुसरण नहीं किया गया हैं अतः काउंटर क्लेम निरस्तनीय हैं। काउंटर क्लेम में प्रतिवादी द्वारा वाद कारण पैदा होने का कोई तथ्य अंकित नहीं किया हैं अस्तु काउंटर क्लेम निरस्तनीय हैं।

अतः जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन हैं कि प्रतिवादी का प्रतिदावा एवं काउंटर क्लेम सव्यय निरस्त किया जावें तथा वादी का वाद डिक्री फरमाते हुए वादी द्वारा वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष प्रदान करने की कृपा करें।

दावें व जवाब दावें के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम किये गये–

तनकी नं0– 01. आया वाके माल कोटडा व महेशपुरा तहसील अटरू में मद नं0 2 व 5 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात मूर्ति कल्याणरायजी बिराजमान बारां की खातेदारी मं अवस्थित है जिसका उपयोग–उपभोग बहैसियत पुजारी वादी कर रहा है।

(भा0स0 वादी)

तनकी नं0 02– आया खातेदार नन्दलाल, गोपाल पि0 राधाकिशन बृाह्मण निवासी बारां मूर्ति कल्याणरायजी के ओसरेदार परम्परागत पुजारी मूर्ति कल्याणराय जी के रहे है।

(भा0स0 वादी)

तनकी नं0 03– आया वादी मृतक नन्दलाल गोपाल का वारिस है, बतौर वारिस मूर्ति की सेवा पूज्य कर रहा है।

(भा0स0 वादी)

तनकी नं0 4– आया मूर्ति कल्याणरायजी का पुजारी व्यवस्थापक है।

(भा0स0 वादी)

तनकी नं0 5– आया विवादित आराजीयात पर वादी व्यवस्थापक पुजारी काबिज है।

(भा0स0 वादी)

तनकी नं0 6– आया विवादित आराजीयात नन्दलाल, गोपाल के नाम बतौर खातेदार दर्ज रही है। **(भा0स0 वादी)**

तनकी नं0 7– आया विधिक प्रकिया का अनुसरण किये बिना प्रति0 वादी को बेदखल करा पाने का अधिकारी है। **(भा0स0 वादी)**

तनकी नं0 8– आया वादी द्वारा विवादित आराजी से सम्बन्धित दो दावे सिविल न्यायालय में पेश किये थे जिनकों न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2010 को खारिज कर दिया है।

(भा0स0 वादी कम 2)

तनकी नं0 9– आया प्रतिवादी द्वारा दिनांक 31.05.1993 का आदेश विधिक आदेश है जिसका नल एण्ड वाइड घोषित करवाने के लिये वादी ने सिविल न्यायालय में वाद पेश किया था जो दिनांक 02.02.2010 को खारिज फरमा दिया गया है– **(भा0स0प्रतिवादी कम 2)**

तनकी नं0 10– आया विवादित आराजी से सम्बन्धित वाद वादी द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया था जो 22.01.2003 को खारिज हो चुका है। **(भा0स0प्रतिवादी कम 2)**

तनकी नं0 11– आया उक्त वाद में रेसजुडिकेटा के सिद्धान्त लागू हेाते है।

(भा0स0 प्रतिवादी कम 2)

तनकी नं0 12– आया माल सहरोद, अन्ताना, चरडाना, मूण्डला, खेडली में स्थित आराजी का प्रबन्धक व्यवस्था, देवस्थान विभाग प्रतिवादी कम 2 करता है। **(भा0स0 प्रतिवादी कम 2)**

तनकी नं0 13– आया वादी का वाद काबिल निरस्तनीय है तथा प्रतिवाद पत्र स्वीकार होने योग्य है। **(भा0स0 प्रतिवादी कम 2)**

तनकी नं0 14– दादरसी।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 से PW_5 के शपथ पत्र पेश किया तथा अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई, साक्ष्यप्रतिवादी के तहत् DW_1 का शपथ पत्र पेश किये तथा बयान 2 लेखबद्ध किये तथा अभिभाषक वादीगण द्वारा जिरह की गई।

अभिभाषकगण की बहस सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया माल कोटड़ा की सम्वत् 2063 से 2066 जमाबन्दी खाता सं0 144 किता 6 रकबा 8.31 है0 भूमि खातेदार मंदिर कल्यायराय जी महाराज विराजमान बारां के खाते दर्ज है।

इससे पूर्व जमाबन्दी सं0 2036 से 2039 किता 7 रकबा 53 बीघा 11 बिस्वा माफी अनुदान श्री कल्यायराय जी विराजमान बारां पुजारी नन्दलाल, गोपाल पिता छगनलाल कोम बृाह्मण सा0 बारां दर्ज है। जो जमाबन्दी सं0 2037 से 2040 की पृष्ठ पर अंकित है।

जमाबन्दी सं0 2002 से 2005 व 2006 से 2009 खातेदार श्रीलाल बल्द बाला बक्श हिंस्सा 1/4 नंदलाल, पिता छगनलाल 3/4 एवं मुताबिक जमाबन्दी सं0 2009 से 12 तक में नाम दर्ज है।

इसी प्रकार ग्राम महेशपुरा की जमाबन्दी सं0 2065 किता 2 रकबा 3.26 है0 राजस्व रिकार्ड में खातेदार श्री कल्याणराय जी मंदिर बारां दर्ज है।

तथा मुताबिक जमाबन्दी सं0 2039 से 2042 ग्राम महेशपुरा की भूमि राजस्व रिकार्ड में रिज्यूम 01.08.1960 श्री कल्याणराज जी मंदिर बारां पुजारी नन्दलाल गोपाल पिता राधा किशन बृाह्मण साकिन बारां के रूप में दर्ज है।

जमाबन्दी सं0 2006 से 2009 वाके ग्राम महेशपुरा ख0नं0 113 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा मंदिर माफी श्री कल्याणराज जी विराजमान बारां खातेदार नन्दलाल गोपाल पिता राधाकिशन के रूप में दर्ज है।

प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता हैः–

<u>तनकी सं0 – 01</u>. आया वाके माल कोटडा व महेशपुरा तहसील अटरू में मद नं0 2 व 5 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात मूर्ति कल्याणरायजी बिराजमान बारां की खातेदारी मं अवस्थित है जिसका उपयोग–उपभोग बहैसियत पुजारी वादी कर रहा है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था मूर्ति कल्यायराय जी विराजमान बारां की खातेदारी भूमि खातेदार श्री कल्याणराय जी के साथ पुजारी का नाम दर्ज है। मंदिर की भूमि पर पूर्व से नाम दर्ज चला आ रहा है। तथा मंन्दिर की सेवा पूजा तेल भोग आदि की व्यवस्था पुजारी मंदिर की भूमि स प्राप्त आप से कर रहा है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपरोक्त विवादित आराजी राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत् दिनांक 01.08.1960 को माफी रिज्यूमशुदा आराजी थी। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के परिपत्र 3 (2)

राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के बिन्दु सं0 02 व 03 में उक्त प्रकार की भूमियों से परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा पुजारी का नाम हटाये जाने को अनुचित माना है। उक्त परिपत्र के बिन्दु सं0 02 के अनुसार तहसीलदार को इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेंस दायर करने के निर्देश दिये गये थे। ये निर्देश परिपत्र दिनांक 13.12.1991 में भी थे। लेकिन तहसीलदार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की पालना में सभी प्रकरणों में समान निर्णय करते हुए पुजारी का नाम हटा दिया जो कि उचित नहीं है तथा उक्त परिपत्रों की भावना के अनुरूप नहीं है। इसी प्रकार राजस्व विभाग के परिपत्र प.3(2)/राज–6/07/19 दिनांक 25.11.2011 में भी इस प्रकार से बिना किसी विधिक प्रक्रिया के पुजारी का नाम हटाये जाने को गलत माना है जो भूमियां रिज्यूमशुदा आराजी है।

इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी अपने परिपत्र क्रमांक प 63/न्याय/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में पुजारी का नाम दर्ज किये जाने के निर्देश दिये है।

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ द्वारा प्रकरण सं. 520 मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज बनाम सरकार में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पुजारी नाम जोड़ने के आदेश किये है तथा व्यवस्था दी है कि –''जब केसरदास का उक्त मंदिर श्री ठाकुर जी का पुजारी होना साबित है तो वह राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9, परिपत्र राजस्व विभाग (ग्रुप–6) दिनांक 24.05.2007, परिपत्र राजस्व विभाग (ग्रुप–6) दिनांक 25.11.2011 एवं राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश क्रमांक राम/न्याय/स्था./प–63/2005/12446–79 दिनांक 10.02.2011 के अनुसरण में वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड दुरूस्त कराकर मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज के साथ खुद को पुजारी दर्ज कराने का अधिकारी है।'' यह व्यवस्था प्रश्नगत प्रकरण में भी हुबहु लागू होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर तनकी सं0 01 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी सं0 – 02, 03, 04.</u> आया खातेदार नन्दलाल, गोपाल पि0 राधाकिशन बृाह्मण निवासी बारां मूर्ति कल्याणरायजी के ओसरेदार परम्परागत पुजारी मूर्ति कल्याणराय जी के रहे है। व आया मूर्ति

कल्याणरायजी का पुजारी व्यवस्थापक है। व आया मूर्ति कल्याणरायजी का पुजारी व्यवस्थापक है। इस तनकीयात 2, 3, 4 को साबित करने का भार वादी पर था इस सम्बन्ध में प्रतिवादी कम 2 द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 25.02.2020 जारी किया गया है। जिसमें वादी को मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज बारां का वंश परम्परागत औसरेदार पुजारी माना है। जो प्रदर्श डी 1 है। जिससे साबित होता है कि नन्दलाल, गोपाल, मूर्ति कल्याणराय जी के औसरेदार परम्परागत पुजारी रहे है, तथा नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 से भी प्रमाणित होता है क्योंकि इसमें नन्दलाल गोपाल के नाम पुजारी के रूप में दर्ज है। अतः तनकी नं0 2, 3 व 4 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 – 05. आया विवादित आराजीयात पर वादी व्यवस्थापक पुजारी काबिज है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था इस सम्बन्ध में पत्रावली पर प्रतिवादी कम 1 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य डी0डब्ल्यू0 1 बृजेश कुमार ने अपनी जिरह में दीवान न्यायालय अदालत बारां ने वादी को पुजारी घोषित किया जाना स्वीकार किया है। जो प्रदर्श 18 है व प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रतिवाद पत्र में भी विवादित आराजी पर कब्जा वादी का मान गया है। व पुजारी को प्रतिवादी कम 2 द्वारा मंन्दिर कल्याणराज जी महाराज का पुजारी का प्रमाण पत्र भी जारी कर रखा है। जिससे यह प्रमाणित पाया जाता है। कि विवादित आराजी पर वादी व्यवस्थापक पुजारी काबिज है। अतः तनकी नं0 5 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 –06 व 7. आया विवादित आराजीयात नन्दलाल, गोपाल के नाम बतौर खातेदार दर्ज रही है। व आया विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना प्रति0 वादी को बेदखल करा पाने का अधिकारी है। इस तनकीयात को साबित करने का भार वादी पर था खातेदार श्री कल्याणराय जी की भूमि पर बतौर पुजारी के रूप में दर्ज चली आ रही थी जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श पी0 1 व प्रदश्न पी0 2 पर बतौर खातेदार अंकित है। जिससे यह प्रमाणित होता है। कि नन्दलाल व गोपाल पूर्व से बतौर पुजारी के रूप में दर्ज थे जिसे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रतिवादीगण बेदखल नही कर सकते है। अतः तनकी नं0 6 व 7 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0– 08, 9 आया वादी द्वारा विवादित आराजी से सम्बन्धित दो दावे सिविल न्यायालय में पेश किये थे जिनकों न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2010 को खारिज कर दिया है। व आया प्रतिवादी द्वारा दिनांक 31.05.1993 का आदेश विधिक आदेश है जिसका नल एण्ड वाइड घोषित

करवाने के लिये वादी ने सिविल न्यायालय में वाद पेश किया था जो दिनांक 02.02.2010 को खारिज फरमा दिया गया है, इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 2 पर था पत्रावली में 31.05.1993 का कोई आदेश उपलब्ध नही है। और न ही उक्त आदेश सर्वाधा विधि विरूद्ध है न्यायिक न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगंज ने दावा संख्या 76/1996 से आदेश दिनांक 31.05.1993 को अप्रभावी व शून्य घोषित कर दिया है एवं इस आदेश के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 02.02. 2010 के विरूद्ध प्रकरण विचाराधीन है। यह बाद पी0डब्ल्यू0 1 भवानी शंकर अतः तनकी नं0 8 व 9 विरूद्ध प्रतिवादीगण वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 10 आया विवादित आराजी से सम्बन्धित वाद वादी द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया था जो 22.01.2003 को खारिज हो चुका है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 2 पर था जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे किसी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नही है। अतः तनकी नं0 10 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 11– आया उक्त वाद में रेसजुडिकेटा के सिद्धान्त लागू होते है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 2 पर था पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है। कि वाद सं0 2/2000 के तथ्य पृथक पृथक है प्रेम शंकर भवानी शंकर धनराज को मूर्ति कल्याणराय जी विराजमान बारां का निर्णय दिनांक 13.04.2010 से परम्परागत औसरेदार पुजारी घोषित कर दिया है। एवं वाद संख्या 9/2000 के तथ्य रिलिफ इस वाद से निम्न है, इसलिये धारा 11 जा0जी0 साबित करने के लिए समान पक्षकार व समान रिलिफ व समान तनकीयात का होना आवश्यक है। अतः तनकी नं0 11 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 12– आया माल सहरोद, अन्ताना, चरडाना, मूण्डला, खेडली में स्थित आराजी का प्रबन्धक व्यवस्था, देवस्थान विभाग प्रतिवादी क्रम 2 करता है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 2 पर था इस सम्बन्ध में पत्रावली पर प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नही किये गये है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि माल सहरोद अन्ताना चरडाना मूण्डला खेडली में स्थित आराजी का प्रबन्धक व्यवस्था प्रतिवादी क्रम 2

करता हो व वादी की साक्ष्य से यह भलिभांति प्रमाणित होता है। कि उक्त गांव की आराजीयात पर प्रतिवादी क्रम 2 का कब्जा है अतः तनकी नं0 12 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 13– आया वादी का वाद काबिल निरस्तनीय है तथा प्रतिवाद पत्र स्वीकार होने योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 2 पर था सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन एवं प्रस्तुत रिकार्ड एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार योग्य है। एवं प्रतिवादी क्रम 2 का परिवाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः तनकी नं0 13 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, प्रतिवादी क्रम 2 का प्रतिवाद पत्र खारिज किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कोटडा की ख0नं0 44/361 की रकबा 1.84 है0 ख0नं0 67/362 रकबा 1.95 है0 ख0नं0 70 रकबा 1.44 है0 ख0नं0 71/398 रकबा 0.09 है0 ख0नं0 159 रकबा 2.52 है0 ख0नं0 160 रकबा 0.47 है0 कुल किता 6 का रकबा 8.71 है0 व ग्राम महेशपुरा की ख0नं0 212 रकबा 2.86 है0 ख0नं0 230/426 रकबा 0.40 है0 कुल किता 2 रकबा 3.26 है0 आराजी पर खातेदार मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज के साथी वादी पुजारी भवानी शंकर पुत्र नन्दलाल ब्राह्मण निवासी बारां का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इन्हें भूमि को उपयोग उपभोग का अधिकार होगा विक्रय रहन का कोई अधिकार नही होगा। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल कर कब्जा न करें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 27/2010

उनवान

1. भवानीशंकर पुत्र श्री नंदलाल आयु 57 साल जाति ब्राहमण साकिन श्रीजी मंदिर बारां पुजारी व व्यवस्थापक मूर्ति श्रीकल्याणरायजी विराजमान बारां जिला बारां
2. मूर्ति श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां जर्ये पुजारी व्यवस्थापक वादमित्र भवानीशंकर पुत्र नंदलाल ब्राहमण नि0 बारां।

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू
2. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (ए) राज0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, प्रतिवादी कम 2 का प्रतिवाद पत्र खारिज किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कोटडा की ख0नं0 44/361 की रकबा 1.84 है0 ख0नं0 67/362 रकबा 1.95 है0 ख0नं0 70 रकबा 1.44 है0 ख0नं0 71/398 रकबा 0.09 है0 ख0नं0 159 रकबा 2.52 है0 ख0नं0 160 रकबा 0.47 है0 कुल किता 6 का रकबा 8.71 है0 व ग्राम महेशपुरा की ख0नं0 212 रकबा 2.86 है0 ख0नं0 230/426 रकबा 0.40 है0 कुल किता 2 रकबा 3.26 है0 आराजी पर खातेदार मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज के साथी वादी पुजारी भवानी शंकर पुत्र नन्दलाल बृाह्मण निवासी बारां का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इन्हें भूमि को उपयोग उपभोग का अधिकार होगा विक्रय रहन का कोई अधिकार नही होगा। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल कर कब्जा न करें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 16:21:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: